

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ संकल्प ॥

विषय :- विश्व बैंक सम्पोषित (NGRBA/NMCG के अधीन) पटना शहर के सैदपुर जोन में 172.50 KM Sewerage Network के निर्माण हेतु 426.7129465 करोड़ रुपये (चार सौ छब्बीस करोड़, इकहत्तर लाख, उन्तीस हजार, चार सौ पैसठ रू० मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति तथा इस योजना में राज्यांश की 30% हिस्सेदारी, निविदा की वर्द्धित राशि तथा सैंटेज की राशि सहित कुल-238.6719506 करोड़ रुपये (दो सौ अड़तीस करोड़, सड़सठ लाख, उन्तीस हजार, पाँच सौ छः रू० मात्र) का व्यय राज्यांश के रूप में किये जाने की स्वीकृति।

पटना नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी घरों/प्रतिष्ठानों को सिवरेज प्रणाली से जोड़े जाने हेतु पूरे शहरी क्षेत्र को 6 जोन यथा दीघा, बेउर, सैदपुर, कंकड़बाग, पहाड़ी एवं करमलीचक में विभक्त किया गया। भूमि की उपलब्धता के आधार पर प्रथम चरण में केवल बेउर, सैदपुर, पहाड़ी एवं करमलीचक जोन के STP एवं सिवरेज नेटवर्क का डी०पी०आर० तैयार कर विश्व बैंक सम्पोषित NGRBA, NMCG की स्वीकृति हेतु भेजा गया था। इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बुडको को कार्यकारी एजेंसी नामित किया गया। NMCG द्वारा स्वीकृत 09 योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है -

क्र.सं.	योजना का नाम	स्वीकृत राशि		योजना का भौतिक ब्यौरा	NMCG का पत्रांक व दिनांक
		केन्द्रांश (70%)	राज्यांश (30%)		
1	Beur STP	68.16 Cr.		STP की क्षमता 43-MLD	285, Dt.- 15.07.2014
		47.712	20.448		
2	Beur Sewerage Network	225.77 Cr.		Sewer Network-179.74 KM	278, Dt.- 31.12.2014
		158.039	67.731		
3	Saidpur STP & Adjoining Network	184.93 Cr.		(I) STP की क्षमता 60-MLD (II) Sewer Network-55.10 KM	282, Dt.- 01.04.2015
		129.451	55.479		
4	Saidpur Sewerage Network	268.63 Cr.		Sewer Network- 172.50 KM	280, Dt.- 01.04.2015
		188.041	80.589		
5	Karmalichak STP	77.04 Cr.		STP की क्षमता 37-MLD	314, Dt.- 15.07.2014
		53.928	23.112		
6	Karmalichak Sewerage Network	170.71 Cr.		Sewer Network-96.54 KM	286, Dt.- 31.12.2014
		119.497	51.213		
7	Pahari STP	127.30 Cr.		STP की क्षमता 60-MLD	281, Dt.- 26.12.2013
		89.11	38.19		
8	Pahari Sewerage System in Sewerage Zone IV A(S)	133.64 Cr.		Sewer Network-88.00 KM	284, Dt.- 26.12.2013
		93.548	40.092		
9	Pahari Sewerage Shceme Zone-V	214.31 Cr.		Sewer Network-110.65 KM	283, Dt.- 26.02.2014
		150.017	64.293		

उपरोक्त वर्णित 09 स्वीकृत योजनाओं में से क्रम सं०-07, 08 एवं 09 की पहाड़ी जोन से संबंधित योजनाओं का Tender Cost लगभग दो गुणा हो जाने के कारण नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-1317, दिनांक-02.03.15 के आलोक में बुडको द्वारा रद्द करने का निर्णय लिया गया था। इन तीन योजनाओं का पुनरीक्षित DPR बुडको द्वारा तैयार कर NMCG से स्वीकृति हेतु भेजा गया है।

क्रम सं०-05 एवं 06 पर वर्णित योजना जो करमलीचक जोन से संबंधित है, की निविदा आमंत्रित की गयी थी, जिसमें करमलीचक STP हेतु निविदा तो प्राप्त हुई, लेकिन करमलीचक नेटवर्क हेतु कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हो पायी। NMCG के पत्रांक-970, दिनांक-07.06.16 में नेटवर्क के बिना केवल STP का निर्माण कार्य को अनुपयोगी बताये जाने के परिपेक्ष्य में तत्काल करमलीचक STP के निविदा के निस्तार को स्थगित रखा गया है, जबकि नेटवर्क के पुनः निविदा हेतु पुनरीक्षित DPR एवं Bid Document तैयार कर NMCG को अनुमोदन हेतु भेजा गया है।

क्रम सं०-01 की बेउर STP योजना को मो०-74.2944 करोड़ रुपये लागत व्यय पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक-13.10.2015 को सम्पन्न बैठक में मद सं०-05 से स्वीकृति प्राप्त है, जो न्यूनतम निविदित राशि 65.9943 करोड़ रू० (NPV) एवं सेंटेंज की राशि मो०-3.499715 करोड़ रू० सहित कुल राशि-69.4940 करोड़ रुपये है, जिसके स्वीकृत राशि से कम होने के कारण इसकी पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

क्रम सं०-03 की सैदपुर STP एवं Adjoining Network योजना को मो०-201.5737 करोड़ रुपये लागत व्यय पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक-02.12.2014 को सम्पन्न बैठक में मद सं०-39 से स्वीकृति प्राप्त है, जो न्यूनतम निविदित राशि 168.1522 करोड़ रू० (NPV) एवं सेंटेंज की राशि मो०-5.881522 करोड़ रू० सहित कुल राशि-174.033722 करोड़ रुपये है, जिसके स्वीकृत राशि से कम होने के कारण इसकी पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

शेष बचे दो योजना यथा Beur Sewerage Network एवं Saidpur Sewerage Network योजना में से Saidpur Sewerage Network संबंधी योजना के क्रियान्वयन हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव निम्न प्रकार है:-

2. Saidpur Sewerage Network - भारत सरकार द्वारा सैदपुर जोन में 172.50 KM sewerage network योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 268.63 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस स्वीकृत राशि की 70% प्रतिशत राशि भारत सरकार तथा 30% राशि बिहार सरकार द्वारा वहन किया जाना है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु बुडको के पत्रांक-145 दिनांक-21.08.2015 द्वारा निविदा आमंत्रित की गयी थी। न्यूनतम निविदित राशि- 418.3296541 करोड़ रू० प्राप्त हुआ है, जो AA&ES जो AA&ES में संसूचित स्वीकृत राशि रू. 268.63 करोड़ से 55.73% ज्यादा है। AA&ES में संसूचित Norms के आधार पर केन्द्रांश की राशि 70% यानि 188.041 करोड़ आती है और शेष राशि (निविदित राशि-केन्द्रांश की राशि) यानि रू. 230.2886541 करोड़ तथा इसमें Centage की राशि रू. 8.383296541 करोड़ को जोड़ने पर राज्यांश की राशि रू. 238.671950641 होती है, जिसका वहन राज्य सरकार को करना होगा। यह AA&ES के आधार पर राज्यांश की राशि रू. 80.589 करोड़ से रू. 158.082950641 करोड़ ज्यादा है। कार्यान्वयन एजेंसी बुडको के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रतिवेदित किया गया है कि वर्ष 2014 के अनुसूचित/बाजार दर के अनुसार योजना की प्राक्कलित

राशि 465.60 करोड़ रूपया है जो निविदित राशि से अधिक है। यह योजना राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक-02.12.2014 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-39 से रु0 290.0988 करोड़ के लागत व्यय पर स्वीकृत है, परन्तु निविदा की राशि अधिक होने के कारण पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता है।

AA&ES के सापेक्ष निविदित राशि की समेकित विवरणी-

Integrated statement of all the BERS of Patna									
Sl.No.	Name Of the Project	Capacity	DPR with Year	Estimated/Sanctioned amount as Per AA&Es in (Cr)		Actual Cost in Cr (NPV)		Centage	GoB Share
				O&M for 5 Years Only(@3%/year)		Tender (L1)			
				GOI (70%)	GOB (30%)	GOI (70%)	Balance amount to be Shared by GOB		
1	Saidpur Sewerage Network	172 Km	DPR 2013 Effective	268.63		418.32965		8.3832965	238.6719506
			Rate SOR2012	188.041	80.589	188.041	230.28865		
Total				268.63		418.32965			
Total GOB & GOI Share				188.041	80.589	188.041	230.28865	8.3832965	238.6719506

अतः निविदित राशि के आलोक में सैदपुर सिवरेज नेटवर्क हेतु AA&ES में संसूचित राशि के सापेक्ष रु. 158.0829506 करोड़ (सेंटेज सहित) की राशि राज्य सरकार को अतिरिक्त रूप से वहन करनी पड़ेगी। निविदा की वर्द्धित राशि के परिपेक्ष्य में इस योजना में केन्द्रांश एवं राज्यांश की हिस्सेदारी का अनुपात अब 44.95%:55.05% हो रहा है, जबकि AA&ES में 70%:30% है।

3. **औचित्य :-** निविदा की वर्द्धित राशि के अनुरूप केन्द्र सरकार (NMCG) से अधिक राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध पत्रांक-257/BGCMS दिनांक-221.06.2016 द्वारा की गयी, जिस पर केन्द्र सरकार (NMCG) के पत्रांक-970 दिनांक-21.06.2016 द्वारा असहमति व्यक्त की गयी। उल्लेखनिय है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय-स्वीकृति में भी स्वीकृत राशि से वर्द्धित राशि का अधिभार राज्य सरकार द्वारा किये जाने का संसूचन है। यदि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त राशि का अधिभार वहन नहीं किया जाता है, तो इस योजना के मात्र STP का निर्माण ही हो पायेगा तथा सिवरेज नेटवर्क के आभाव में यह योजना उपयोगी सिद्ध नहीं होगी।

दूसरे विकल्प के रूप में यदि इस योजना की पुनः निविदा आमंत्रित की जाती है तो निविदित राशि में और वृद्धि की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि AA&ES, 2012 में प्रचालित अनुसूचित दर/बाजार दर पर आधारित है। इस योजना की Bid Validity दिनांक- 23.01.2017 तक विस्तारित किये जाने की सहमति संबंधित निविदादाता से प्राप्त है।

वर्तमान में "नमामि गंगे योजना" के प्रतिपादित अद्यतन नियमन के आलोक में "नेटवर्क" के कार्य के स्थान पर Interception & Diversion of Drainage (I&D) का निर्माण किया जाना है। सिवरेज नेटवर्क योजना में ज्यादा राशि का व्यय होता है, परन्तु इसके द्वारा सम्पूर्ण जोन के सिवेज को एकत्रित कर STP द्वारा इसका परिशोधन किया जात है। जबकि कम खर्च के I&d योजना द्वारा केवल गंगा किनारे अवस्थित नालों के सिवेज को परिशोधित किया जायेगा, जिससे संबंधित जोन की समस्या का सम्पूर्ण निदान नहीं हो पायेगा।

भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए सिवरेज नेटवर्क योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार के द्वारा कराने की स्थिति में अधिक राशि के व्यय की संभावना होगी क्योंकि इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई राशि नहीं दी जायेगी।

सारांशित है कि यद्यपि राज्य सरकार पर सिवरेज नेटवर्क के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त राशि का अधिभार पड़ेगा, लेकिन जनहित में यह यथोचित प्रतीत होता है।

पटना बिहार राज्य की राजधानी होने के साथ साथ यह पूर्वी भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पटना शहर के उत्तरी किनारे की ओर 30 कि० मी० की लम्बाई में गंगा नदी पूर्व दिशा की ओर प्रवाह करती है। Untreated sewage water को नदी में प्रवाहित नहीं किये जाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तथा सभी आवसीय एवं अन्य प्रतिष्ठानों से निकलने वाले सिवेज को sewerage network के माध्यम से संबंधित सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) तक पहुंचा कर उसके परिशोधन कराने के उद्देश्य से उपरोक्त सिवरेज नेटवर्क एवं सिवरेज नेटवर्क प्लांट की स्थापना एवं अधिष्ठापित किया जाना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार बीच में Pumping Station का भी निर्माण प्रस्तावित है, ताकि सिवेज को आसानी से STP तक पहुंचाया जा सके। वर्तमान समय में निकलने वाले सिवेज, कार्यरत STP की क्षमता से कई गुणा अधिक हो गई है तथा ट्रीटमेंट के आभाव में समूचित विस्तार नहीं हो पाता है।

4. Saidpur Sewerage Network इस योजना के अन्तर्गत पटना-हावड़ा रेलवे लाईन के उत्तर, मंदिरी नाला से महात्मा गांधी सेतु क्षेत्र के लगभग 67000 आवासीय तथा अन्य प्रतिष्ठानों को sewerage network से जोड़ने हेतु 172.50 km सिवरेज प्रणाली लगाये जाने का प्रस्ताव है। योजना कार्यान्वयन की अवधि निविदा के उपरान्त 36 माह रखी गयी है। Sewerage Network के सफल अधिष्ठापन के उपरान्त संवेदक द्वारा अगले 10 वर्षों तक इसका रख-रखाव भी किया जाना है।

5. योजना के लिये आवश्यक निधि के स्रोत (यथा राज्यांश, केन्द्रांश, शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना, राज्य योजना, बाह्य संपोषित इत्यादि):- इस योजना की स्वीकृत परियोजना राशि का 70% भारत सरकार NMCG द्वारा RTGS से विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा तथा राज्य की हिस्सेदारी 30%, निविदा की वर्द्धित राशि एवं कार्यान्वयन एजेंसी बुडको को भुगतये सेंटेंज की राशि राज्य सरकार को वहन करना होगा। योजना व्यय प्रवाह की वर्षवार विवरणी निम्न प्रकार है:-

Saidpur Network With NPV						
S.No	Year	GOI (Cr)	Share Of GOB			T.Amt (Cr)
			GOB (Cr)	Centage (Cr)	T.GOB (Cr)	
1	2016-17	93.1	39.95541	2	41.95541	135.05541
2	2017-18	79.04	54.01541	2	56.01541	135.05541
3	2018-19	0	130.69318	2	132.69318	132.69318
4	2019-20	1.631	0.699	0.238	0.93732965	2.56832965
5	2020-21	1.547	0.663	0.238	0.90132965	2.44832965
6	2021-22	1.47	0.63	0.238	0.86832965	2.33832965
7	2022-23	1.4	0.6	0.238	0.83832965	2.23832965

8	2023-24	1.33	0.57	0.238	0.80832965	2.13832965
9	2024-25	1.267	0.543	0.238	0.78132965	2.04832965
10	2025-26	1.204	0.516	0.238	0.75432965	1.95832965
11	2026-27	1.148	0.492	0.238	0.73032965	1.87832965
12	2027-28	1.092	0.468	0.238	0.70632965	1.79832965
13	2028-29	3.81	0.45	0.238	0.68832965	4.49398375
Total		188.04	230.295	8.383297	238.678297	426.712951

6. यह योजना निर्माण कार्य से संबंधित है। पटना नगर निगम के क्षेत्राधीन आवासित नागरिकों को सिवरेज प्रणाली के द्वारा मल-जल एकत्रित कर Treatment Plant में उपचार हेतु भेजा जाना है। शहर के अन्दर नई प्रणाली बिछाये जाने से गंगा नदी में होने वाले प्रदूषण में गुणात्मक सुधार होने की संभावना है तथा जल जमाव की समस्या भी नियंत्रित होगी।

7. उक्त प्रस्ताव पर दिनांक-17.01.2017 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के मद सं०-11 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

अतः विश्व बैंक सम्पोषित (NGRBA/NMCG के अधीन) पटना शहर के सैदपुर जोन में 172.50 KM Sewerage Network के निर्माण हेतु 426.7129465 करोड़ रुपये (चार सौ छब्बीस करोड़, इकहत्तर लाख, उन्तीस हजार, चार सौ पैसठ रू० मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति तथा इस योजना में राज्यांश की 30% हिस्सेदारी, निविदा की वर्द्धित राशि तथा सेंटेंज की राशि सहित कुल-238.6719506 करोड़ रुपये (दो सौ अड़तीस करोड़, सड़सठ लाख, उन्तीस हजार, पाँच सौ छः रू० मात्र) का व्यय राज्यांश के रूप में किये जाने की स्वीकृति पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/ नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/महालेखाकर, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

(चैतन्य प्रसाद),

सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक :-03/NGRBA-06-20/2014

204

न०वि०एवंआ०पि०, दिनांक-24/01/17

प्रतिलिपि:-अधीक्षक राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना/अवर सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० संलग्न) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए संकल्प की दो सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :-03/NGRBA-06-20/2014

204

न०वि०एवंआ०पि०, दिनांक-24/11/17

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मा० मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/मा० मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/अपर सचिव-सह-निदेशक, बुडा के आप्त सचिव/BGCMS/एवं मिशन निदेशक, NMCG, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/11/2017

सरकार के प्रधान सचिव।

ANS
2